FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला मजिस्ट्रेट, पाली

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सिंडीकेट बैंक, शाखा पाली		1. मैसर्स महालक्ष्मी डेयरी प्रोपराईटर श्री राजाराम, पता–27, वीडी नगर, पाली 306401 2. श्री राजाराम परिहार, पता– प्लॉट नं. 875, खेतेश्वर नगर, राजश्री स्कूल के पास, सुन्दर नगर, पाली 306401 3. मनछा पुरी, पता–730, इन्दिरा विहार, रायको की ढाणी, पाली 306401

किस्म मुकदमा :: विविध 78 /2019
आर.सी.एम.एस. न.– 2019/00366
धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security interest Act 2002

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.12.2019	प्रार्थी बैंक की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 The Securitisation and Reconstruction of Financial Assests and Enforcement of Security interest Act, 2002 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध पेश किया हैं, जो दर्ज रजिस्टर कर पत्रावली एवं दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 13(2) के अनुसार जहॉ कोई ऋणी, जो एक प्रतिभूमि करार के अन्तर्गत प्रतिभूति लेनदार के दायित्व के अन्तर्गत प्रतिभूत ऋण या उसकी किसी किश्त के पुनर्भुगतान में किसी व्यक्तिक्रम को करता है, और उस ऋण के संबंध में उसका खाता प्रतिभूत लेनदार द्वारा अक्रियान्वित आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाये, तब प्रतिभूत लेनदार को सूचना की तिथी के साठ दिवसों के भीतर देनदार के पूर्व उसके दायित्वों में समाप्त करने के लिए लिखित में सूचना द्वारा ऋणी को सूचित करना हो सकेगा, जिसमें असफल होने पर प्रतिभूत जिसमें असफल होने पर प्रतिभूत लेनदार उप धारा 4 के अन्तर्गत सभी या कुछ अधिकारों को प्रयोग करने का हकदार होगा। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी बैंक की ओर व्यक्ति जो ऋणी जमानतदार के रूप में पक्षकार नियोजित किए है, उनको जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 13(2) का अवलोकन किया, जिसमें रेफ़रेन्स नम्बर 43923 दिनांक 01.03.2019 को जारीसुदा पत्रावली में संलग्न है। जिसमें प्रार्थी बैंक द्वारा जरिए रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस मच्छापुरी, 730 इन्दिरा विहार राईको की ढाणी, पाली 306401 पर भेजा गया। जिस पर पोस्टमेन है कि प्राप्तकर्ता अन्यन्त्र रहता है, पता मालूम नहीं, वापस भेजे अंकित है तथा महालक्ष्मी डेयरी की ए.डी. रसीद संलग्न है। पवती के रूप में किसी के भी हस्ताक्षर नहीं है। जिसे तामील नहीं माना जा सकता है तथा राजाराम परिहार के पता लिखे की फोटो प्रति पर किसी विनोद के हस्ताक्षर नाम के रूप में है। पोस्ट ऑफिस की मोहर किसी पर नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त सभी से स्पष्ट है कि धारा 13(2) का नोटिस विधिवत तामील नहीं कराया गया है। किसी ऋण के बदले रहन सम्पति का कब्जा एवं उसकी निलामी हेतु धारा 13(2) का नोटिस दिए जाना तथा विधि सम्मत तामीली कार्यवाही सुनिश्चित करने के पश्चात ही धारा 14 के तहत कार्यवाही हेतु इस न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं कर प्रार्थी बैंक द्वारा विधिक त्रुटि की गई है। परिणाम स्वरूप प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सरफेशी एक्ट की धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत तामीली के अभाव में निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । जिला मजिस्ट्रेट, पाली	